4181(E)
19/6/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 18/06/2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, रोसड़ा के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Ilmasnagar-Ballipur-Dumra Road from Ch. 10.709 to 15.316 (Total Length-4.607 Km.) for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक–2217(E) दिनांक–01.04.2026 एवं पत्रांक–2360(E) दिनांक–09.04.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री अनिल कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक–21.05.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक–1563 दिनांक–21.05.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1709(अनु०) दिनांक–01.06.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक–01.06.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Widening and Strengthening of Ilmasnagar-Ballipur-Dumra Road from Ch. 10.709 to 15.316 (Total Length-4.607 Km.) for the year 2025-26
2.2	योजना मद	:	5054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, रोसड़ा।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹2945.67 लाख। विभागीय ज्ञापांक–6208(एस०) दिनांक–14.07.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹2892.21 लाख। मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–2414(अनु०) दिनांक–01.08.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹1958.47956 लाख।
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	06 (Six) Months.
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	10.04.2026

2.10	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	पुनर्निविदा है। प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एकल निविदाकार द्वारा भाग लेने के कारण निविदा को रदद कर कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रोसड़ा का ज्ञापांक–943 दिनांक–22.08.2025 द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रित किया गया। द्वितीय बार आमंत्रित निविदा में एक भी निविदाकार सफल नहीं होने के फलस्वरूप विभागीय ज्ञापांक–1540(ई०) दिनांक–26.02.2026 से प्राप्त निदेश के आलोक में पुनर्निविदा आमंत्रित किया गया।

3. विषयांकित पुनर्निविदा में निम्नलिखित 05 (पाँच) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) M/s Pratyaksha Construction Private Limited
(2) M/s Kumar India Engitech Private Limited
(3) Rai Raj Construction Pvt. Ltd.
(4) Anjani Kumar
(5) KDC and INSCPL (JV)

4. उपभागीय ज्ञापांक–1563 दिनांक–21.05.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–21.05.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में उक्त पुनर्निविदा में कुल पाँच निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (1) M/s Pratyaksha Construction Private Limited (2) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. एवं (3) Anjani Kumar को तकनीकी बीड में सफल एवं शेष दो निविदाकार (1) M/s Kumar India Engitech Private Limited को SBD के ITB Cl.-4.7 के आलोक में एवं (2) KDC and INSCPL (JV) को SBD के ITB-Cl.-16 & IFB, ITB Cl.-4.5A(c), ITB Cl.-4.2 (iv), NIT के क्रमांक–26 एवं ITB-Cl.-4.7 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया।

विभागीय निदेश के अनुसार दो कार्य दिवस में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोलने हेतु निदेश दिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक–1563 दिनांक–21.05.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–21.05.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के संदर्भ में विषयांकित कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार KDC and INSCPL (JV) के पत्रांक–शून्य दिनांक–23.05.2026 द्वारा पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल निविदाकार यथा (1) M/s Pratyaksha Construction Private Limited (2) Anjani Kumar एवं (3) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. के विरूद्ध परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1709(अनु०) दिनांक–01.06.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक–01.06.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध तकनीकी बीड में असफल निविदाकार, KDC And INSCPL (JV) के पत्रांक–शून्य दिनांक–23.05.2026 द्वारा आपत्ति/परिवाद समर्पित किया गया है।

आपत्ति/परिवाद की समीक्षा :–

	परिवाद/आपत्ति	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय/अनुशंसा	परिवाद समिति की अनुशंसा
1.	(A) KDC And INSCPL (JV) द्वारा प्राप्त आपत्ति :– (i) Bank Guarantee संबंधी बिंदु :– प्रस्तुत B.G. पूर्णतः वैध एवं निविदा प्रयोजन हेतु जारी की गयी है। यह केवल तकनीकी स्वरूप की त्रुटि है, जिससे विभागीय हित प्रभावित नहीं होता। अतः इस आधार पर BG को अस्वीकृत करना न्यायोचित नहीं है।	विभागीय पत्रांक–8131(S)We दिनांक–24.07.2012 के क्रमांक–1.8 के आलोक में निविदा में B.G. Bidder (KDC and INSCPL (JV) के नाम से वांछित है, किन्तु JV के एक Partner Indra Narain Singh Contractors Private Limited के नाम से B.G. बनाया गया है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।
	(ii) Experience संबंधी बिंदु :– JV के दोनों साझेदारों के संयुक्त अनुभव को मान्यता दी जानी चाहिए। KDC एवं INSCPL द्वारा प्रस्तुत अनुभव NIT की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करता है।	विभागीय पत्रांक–8131(S)We दिनांक–24.07.2012 के क्रमांक–5.2 के आलोक में Second Partner को कुल कार्य अनुभव का कम–से–कम 25% वांछित है, जिसकी अहर्त्ता पूर्ण नहीं करते हैं। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।
	(iii) Bidding Capacity संबंधी बिंदु :– JV में Lead Partner की क्षमता प्रमुख होती है तथा KD Company द्वारा आवश्यक वित्तीय तकनीकी क्षमता उपलब्ध करायी गयी है। अतः केवल दूसरे पार्टनर की Capacity को आधार बनाकर संपूर्ण JV को अयोग्य घोषित करना उचित नहीं है।	विभागीय पत्रांक–8131(S)We दिनांक–24.07.2012 के क्रमांक–5.2 के आलोक में Second Partner के लिए कुल Bid Capacity का कम–से–कम 25% वांछित है, जिसकी अहर्त्ता पूर्ण नहीं करते है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	(iv) Power of Attorney संबंधी बिंदु :— Power of Attorney विधिवत संलग्न था। यदि Stamp denomination में कोई त्रुटि है तो वह एक curable defect है, जिसे स्पष्टीकरण/अतिरिक्त दस्तावेज के माध्यम से सुधारा जा सकता है। इस प्रकार की त्रुटि के आधार पर Bid को Non-Responsive करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।	NIT के क्रमांक–26 के आलोक में Power of Attorney Rs. 1000/– के स्टांप पेपर पर वांछित है, जो कि JV के Power of Attorney के लिये दिया गया है। किन्तु JV के Lead Partner (KDC) की तरफ से Signing authority हेतु दिये गये Power of Attorney Rs. 1000/– के वांछित Stamp Paper पर नहीं है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।
	(B) KDC And INSCPL (JV) द्वारा Anjani Kumar के विरूद्ध दिये गये परिवादः— Anjani Kumar के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में Executed Quantity का विवरण Year-wise उपलब्ध नहीं है। किसी भी Experience/Completion Certificate में संबंधित Financial Year अंकित नहीं किया गया है, जिसके कारण वास्तविक Executed Quantity की सही गणना एवं सत्यापन संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त इनके विरूद्ध Hon'ble High Court, Patna एवं Civil Court, Samastipur में कई मामले लंबित होने बावजूद उनका समुचित विवरण निविदा दस्तावेजों में प्रदर्शित नहीं किया गया है। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत इनके कई कार्य लंबित/प्रगति पर हैं, जिन्हें Existing Commitment में प्रकट	निविदाकार द्वारा समर्पित प्रमाण–पत्र जिसके आधार पर year wise quantity की गणना की गई है, में Financial Year अंकित है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है। परिवादी द्वारा निविदाकार के विरूद्ध Court में मामला लंबित होने की बात बताया गया है, किन्तु वाद का नाम एवं संख्या अंकित नहीं किया गया है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है। निविदाकार द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में किये जा रहे कार्य (लंबित/प्रगति) को Existing Commitment में दर्शाया गया है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया गया है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है। निविदाकार द्वारा Tools & Plant से संबंधित कागजात	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	नहीं कर छुपाया गया है। इनके द्वारा प्रस्तुत Tools & Plant संबंधी दस्तावेजों में भी मशीनों/उपकरणों की Capacity का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। उपरोक्त गंभीर त्रुटियों एवं तथ्यों के बावजूद इनके Tender को Responsive माना गया है, जिसकी मुख्यालय स्तर पर निष्पक्ष जांच कराया जाना आवश्यक है।	के साथ–साथ शपथ–पत्र भी दिया गया है कि "We shall make available all Tools & Plants, Equipments etc. which will be required." अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	
	(C) KDC And INSCPL (JV) द्वारा Pratyaksha Construction Pvt. Ltd. के विरूद्ध दिये गये परिवादः– Pratyaksha Construction Pvt. Ltd. के मामले में Power of Attorney ₹1,000/– के Stamp Paper पर ₹25/– Welfare Ticket के संलग्न नहीं है। साथ ही Power of Attorney Proper Format में नहीं है। इसके अतिरिक्त Hon'ble High Court, Patna में लंबित CWJC No. 4214/2026 के तथ्य को निविदा दस्तावेजों में प्रकट नहीं कर छुपाया गया है। साथ ही इनके द्वारा Tools & Plants Availability से संबंधित प्रस्तुत शपथपत्र में भी भ्रामक/गलत जानकारी दी गयी प्रतीत होती है, जिसकी विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच कराया जाना आवश्यक है।	NIT के क्रमांक–26 के आलोक में Power of Attorney 1000/– रू0 के Stamp पर वांछित है, जो निविदाकार द्वारा समर्पित किया गया है। साथ ही उस पर Company के दोनों Directors का हस्ताक्षर भी है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है। इस वाद (CWJC No.-4214/2026) में Sona Infracon Pvt. Ltd. द्वारा The State of Bihar & Ors. को Respondent बनाया गया है जिसमें निविदाकार भी एक Respondent है। High Court Patna के वेबसाईट पर उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि निविदाकार को दिनांक–18.04.2026 तक वाद से संबंधित Dasti Notice हस्तगत नहीं कराया गया (Hon'ble High Court, Patna के वेबसाईट से Downloaded Documents की छायाप्रति संलग्न) है। निविदाकार द्वारा निविदा की अंतिम तिथि दिनांक–10.04.2026 को Bid Upload किया गया है। अतः परिवाद का यह बिन्दु	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

		अमान्य है।	
	(D) KDC And INSCPL (JV) द्वारा Rai Raj Construction Pvt. Ltd. के विरूद्ध दिये गये परिवादः– Rai Raj Construction Pvt. Ltd. के मामले में Existing Commitment का विवरण अपूर्ण एवं भ्रामक है। इनके द्वारा RCD, Biharsharif से संबंधित कई LOA (Letter of Acceptance) को Existing Commitment में प्रदशित नहीं कर छुपाया गया है। साथ ही Hon'ble High Court में लंबित वाद CWJC No. 16512/2025 एवं CWJC No. 16485/2025 को भी Litigation History में उल्लेखित नहीं किया गया है, जो निविदा शर्तों एवं पारदर्शिता के सिद्धांत के विपरीत है।	निविदाकार द्वारा Existing Commitment की विवरणी के साथ–साथ कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र भी Upload किया गया है। LOA के संबंध में परिवादी द्वारा किसी कार्य के नाम का जिक्र नहीं किया गया है जो विचारणीय नहीं है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है। Hon'ble High Court, Patna के वेबसाईट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार पाया गया कि निविदाकार, Rai Raj Construction Pvt. Ltd. द्वारा Hon'ble High Court, Patna में वाद CWJC No. 16512/2025 एवं CWJC No.- 16485/2025 दायर किया गया है, जो वर्त्तमान में लंबित है। निविदाकार, Rai Raj Construction Pvt. Ltd. द्वारा उक्त वाद को Bid में Litigation History के रूप में नहीं दर्शाया गया है (Hon'ble High Court, Patna के वेबसाईट से Downloaded Documents की छायाप्रति संलग्न) है। अतः परिवाद का यह बिन्दु मान्य है।	

7. <u>परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :–</u>

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षोपरांत एवं सम्यक विचारोपरान्त KDC And INSCPL (JV) के पत्रांक–शून्य दिनांक–23.05.2026 द्वारा दिए गए आपत्ति/परिवाद को उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उपभागीय ज्ञापांक–1563, दिनांक–21.05.2026 द्वारा संसूचित दिनांक 21.05.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

उक्त निविदा में कुल पाँच निविदाकारों में से दो निविदाकार यथा (1) M/s Pratyaksha Construction Private Limited एवं (2) Anjani Kumar को तकनीकी बीड में सफल तथा शेष तीन निविदाकार यथा (1) M/s Kumar India Engitech Private Limited को SBD के ITB Cl.-4.7 के आलोक में (2) KDC and INSCPL (JV) को SBD के ITB-Cl.-16–IFB, ITB Cl.- 4.5 A (c), ITB Cl.-4.2 (iv), NIT के क्रमांक–26 एवं ITB-Cl.-4.7 के आलोक में एवं (3) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. को SBD के ITB Cl.-4.3(j) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

8. <u>परिवाद समिति का निर्णय</u> :-

(i) विषयांकित कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार KDC and INSCPL (JV) के पत्रांक-शून्य दिनांक-23.05.2026 द्वारा पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल निविदाकार यथा (1) M/s Pratyaksha Construction Private Limited (2) Anjani Kumar के विरूद्ध दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य करने का निर्णय जाता है एवं (3) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. के विरूद्ध दिए गए परिवाद/आपत्ति को मान्य करने का निर्णय लिया जाता है।

(ii) तीन निविदाकार यथा (1) M/s Kumar India Engitech Private Limited को SBD के ITB Cl.-4.7 (2) KDC and INSCPL (JV) को SBD के ITB-Cl.-16-IFB, ITB Cl.- 4.5 A (c), ITB Cl.-4.2 (iv), NIT के क्रमांक-26 एवं ITB-Cl.-4.7 एवं (3) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. को SBD के ITB Cl.-4.3(j) के तहत् तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

(iii) शेष दो निविदाकार यथा (1) M/s Pratyaksha Construction Private Limited एवं (2) Anjani Kumar को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता हैं। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है।

(iv) उपभागीय ज्ञापांक-1563 दिनांक-21.05.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-21.05.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(v) मुख्य अभियंता, उत्तर संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

18/06/26	18/6/26	18/06/26	18/06/26
(सुनील कुमार सुमन) मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(राजेश कुमार गुप्ता) मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अनिल कुमार सिंह) अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(उमा कान्त रजक) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0-7/निविदा-03-159/2025 4181 (E) पटना, दिनांक 19/6/2026

प्रतिलिपिः- मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/06/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।